

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत.....

सहायक सहायक

(SDO) वायव्य

मुकाम.....

विश्वनाथराय कर्मा

बनाम.....

इसवारराय कर्मा

किस्म मुकदमा.....

स. नं. 111/128 R.L. Act

नं. 152/2022

सन्.....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.04.22	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री जयप्रकाश ४२५</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/बन्द/अपील धारा 111,128 R.L. Act</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मान</p> <p>तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25.04.22 को पेश हो।</p>	<p>3</p> <p>सहायक सहायक (SDO) वायव्य</p>

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

25/04/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित/ न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई/ अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।

सहायक कमिश्नर
(SDO) बायतु

राज
न्यायालय उपर
बाद / 2022 / 445
प्रार्थी
बनाम
1. विश्वनाथम पुत्र आईदानशम कौरा 06.
जाति जाट, निवासी लागला,
पटवार मण्डल कोसरिया,
तहसील बायतु (बाडमेर)
प्रार्थना पुत्र

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क/वाद/2022/445
प्रार्थी

बनाम

दिनांक:- 27/04/2022
विप्रार्थीगण

1. विशनाराम पुत्र आईदानराम वगैरा 06,
जाति जाट, निवासी लापला,
पटवार मण्डल कोसरिया,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. ईसराराम पुत्र गोरधनराम वगैरा 25,
जाति जाट, निवासी लापला,
पटवार मण्डल कोसरिया,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 152/2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - लापला, पटवार हल्का - कोसरिया, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 402/641 रकबा 36.4050 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



कमाक/वाद /2022/446-450

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 27/04/2022

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री विशनाराम पुत्र आईदानराम वगैरा 06,
4. विप्रार्थी श्री ईसराराम पुत्र गोरधनराम वगैरा 25,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(100) बायतु